इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

# ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ४९]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2025-माघ 25, शक 1946

## वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2025

क्र.—3—3—4—0014—2023—Sec—02—पांच (CT)(14).—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उपधारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) तथा (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश बीयर तथा मद्य नियम, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थातु:—

### संशोधन

उक्त नियमों में,

- (1) नियम 3-क में,-
  - (क) उप-नियम (2) में, खण्ड (ब) के स्थान पर, निम्न खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
    - "(ब) (एक) एफ.एल.-2, एफ.एल.-3 एवं एफ.एल.-4 अनुज्ञिप्तधारी, जिनके परिसर में न्यूनतम 2000 वर्ग फीट का अतिरिक्त स्थान, प्लांट व मशीनरी लगाने के लिए पृथक से हो;
      - (दो) ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति (फूड लायसेंस) के अधीन कोई रेस्तरां/होटल का संचालन किया जा रहा है तथा जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करते हों, अर्थात् :-

- (क) आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए तथा कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए;
- (ख) आवेदक का ई-केवाईसी होना चाहिए;
- (ग) उनके परिसर में न्यूनतम 2000 वर्ग फीट का अतिरिक्त स्थान, प्लांट व मशीनरी लगाने के लिए पृथक से उपलब्ध होना चाहिए;
- (घ) अनुज्ञप्त परिसर में न्यूनतम 1500 वर्ग फीट के डायनिंग एरिया/सर्विंग एरिया के साथ वातानुकूलित रेस्तरां होना चाहिए;
  - (इ.) अनुज्ञप्त परिसर में महिलाओं एवं पुरूषों के लिए पृथक-पृथक प्रसाधन (toilet) होने चाहिए;
  - (छ) स्वयं की अथवा सार्वजनिक पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए;
  - (ज) रेस्तरां/होटल, मदिरा दुकानों के अवस्थापन के नियमों के अनुरूप होना चाहिए;
- (तीन) उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आवेदकों को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह कथन हो, कि वे माइक्रोब्रेवरी की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी पर न्यूनतम 50 लाख रूपये व्यय करेंगे।"।

- (ख) उप-नियम (3) में, खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-
  - "(दो) उक्त नियमों के नियम 3-क के उप-नियम (2) के खण्ड (ब) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में यथा उल्लिखित आवेदक द्वारा माइक्रोब्रेवरी की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी पर न्यूनतम 50 लाख रूपये व्यय करने का शपथ-पत्र।"।
- (2) नियम 4-क में, उप-नियम (1) में, खण्ड (पांच) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:-
  - "(छह) मदिरा विक्रय, राज्य का विशेषाधिकार (Exclusive Privilege) और अधिकार है, जिसे किसी को देने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है और कोई भी इसका दावा, राज्य के विरुद्ध अधिकार की तरह, नहीं कर सकता है, अर्थात विहित की गयी औपचारिकताओं/व्यवस्थाओं की पूर्ति मात्र, किसी आवेदक विशेष को माइक्रोब्रेवरी अनुज्ञप्ति की स्वीकृति का दावा प्रस्तुत करने के लिए हकदार नहीं बनाएगी इस संबंध में आबकारी आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा।"।
- (3) प्ररूप एम.बी.1 में, शर्त क्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शर्त तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

- "9. मैं माइक्रोब्रेवरी नियमों के अनुसार निम्नतिखत अभिलेख आबकारी विभाग के ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड कर रहा हूँ, अर्थात्:-
  - (एक) आवेदक द्वारा माइक्रोब्रेवरी की स्थापना के लिए होटल/रेस्तरां के स्वामित्व अथवा पट्टे (लीज) के प्रमाण-पत्र के साथ-साथ विशिष्ट श्रेणी के होटल का प्रमाण-पत्र, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3-क के उप-नियम (2) के खण्ड (अ) में उल्लिखित है;
  - (दो) आवेदक द्वारा माइक्रोबेवरी की स्थापना के लिए होटल/रेस्तरां के स्वामित्व या पट्टे (लीज) का प्रमाण-पत्र, जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3-क के उप-नियम (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड (दो) में उल्लिखित किया गया है, के साथ माईक्रोब्रेवरी की स्थापना के लिए संयंत्र और मशीनरी पर न्यूनतम 50 लाख रूपए टयय करने का शपथ पत्र ।"।
- 2. यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

No.3-3-4-0014-2023-Sec-02-V (CT)(14).—In exercise of the powers conferred by clause (d), (e), (f), (g) and (h) of sub-section (2) of Section 62 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh beer and Wine Rules, 2002, namely:-

#### **AMENDMENTS**

In the said rules,-

- (1) in rule 3-A,-
  - (a) in sub-rule (2), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
    - "(b) (i) F.L.-2, F.L.-3 and F.L.-4 licensee, who have a minimum 2000 square feet of additional space for setting up plant and machinery in their premises separately;

- (ii) persons who are operating a restaurant/hotel under a food licence and fulfil the following conditions, namely:-
  - (a) age must be minimum of 21 years and there must be no criminal record;
  - (b) the applicant must have e-KYC;
  - (c) a minimum of 2000 square feet of extra space must be available in their premises for setting up plant and machinery separately;
  - (d) the licenced premises must have an airconditioned restaurant with a dining area/serving area of minimum 1500 square feet;
  - (e) the licenced premises must have separate toilets for men and women;
  - (f) there must be an adequate arrangement of own or public parking;
  - (g) the restaurant/hotel must be in accordance with the rules of location of liquor shops;
- (iii) the applicants mentioned in sub-clause (i) and (ii) must submit an affidavit stating that they shall spend a minimum of Rs. 50 lakh on plant and machinery for the establishment of a microbrewery.";
- (b) in sub-rule (3), for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(ii) An affidavit by the applicant, as mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (b) of sub-rule

- (2) of rule 3-A of the said rules to spend a minimum of Rs. 50 lakh on plant and machinery for setting up the microbrewery.".
- (2) In rule 4-A, in sub-rule (1), after clause (v), the following clause shall be added, namely:-
  - "(vi) Sale of liquor is an exclusive privilege and right of the State, the State cannot be compelled to grant to anybody and no one can claim it as a right against the fulfillment of the prescribed State i.e. mere formalities/arrangements shall not entitle particular applicant to put up a claim for grant of microbrewery licence. The decision of the Excise Commissioner in this regard shall be final.".
  - (3) In Form M.B.1, for condition number 9 and entries relating thereto, the following condition and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
    - "9. I am uploading the following documents on the e-Abkari portal of the Commercial Taxes Department, as per the microbrewery rules, namely:-
      - (i) certificate of ownership or lease of hotel/restaurant as well as certificate of special category hotel for setting up of microbrewery by the applicant, as mentioned in clause (a) of subrule (2) of rule 3-A of the said rules;
      - (ii) certificate of ownership or lease of hotel/restaurant for setting up of microbrewery by the applicant, as mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (b) of sub-rule (2) of rule 3-A of the said rules as well as an affidavit of spending a minimum of Rs. 50 lakh on plant and machinery to setup a microbrewery."
- 2. This notification shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.